

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक प.1(01)न्याय/2025

जयपुर दिनांक 02.06.2025

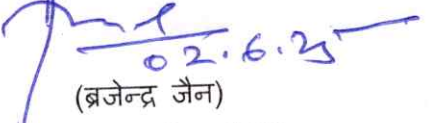
**::अधिसूचना::**

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1), धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, तुरन्त प्रभाव से कॉलम संख्या 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है, तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है:-

| क्र.सं. | जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम         | अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम      | बैठक का स्थान |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1       | 2                                           | 3                                            | 4             |
| 1       | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भरतपुर             | अपर जिला न्यायाधीश, नदबई जिला भरतपुर         | नदबई          |
| 2       | जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम | अपर जिला न्यायाधीश, चाकसू जयपुर महानगर प्रथम | चाकसू         |

नोट-उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 8(3) के अन्तर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश की शक्तियां प्रदान की जायेगी।

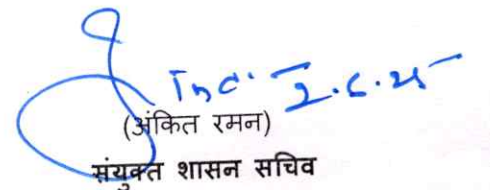
राज्यपाल के आदेश से,

  
(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, भरतपुर/जयपुर महानगर प्रथम/जयपुर जिला।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान, जयपुर।
10. शासन सचिव, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. एसीपी (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वेबसाइट पर ई-गजट में ऑनलाइन प्रकाशन करवाने हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

  
(अंकित रमन)  
संयुक्त शासन सचिव